

समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

घोड़श बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र दिनांक 25 फरवरी, 2016 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-23 बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 25 फरवरी, 2016 को महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के सह-समवेत बैठक में सदस्यों को सम्बोधित किया गया। महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणिकृत प्रतियों को प्रभारी मंत्री द्वारा सदन पटल पर रखा गया। माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सदन पटल पर रखा गया। बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित विधेयक का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया। सत्र के दौरान कुल-13 (तेरह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

दिनांक 26 फरवरी, 2016 को बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-31, हरलाखी के उप-निर्वाचन, 2016 में निर्वाचित सदस्य, श्री सुधांशु शंखर ने शपथ ग्रहण किया। माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिनांक 26 फरवरी, 2016 को माननीय सदस्य, श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी वाद-विवाद का उत्तर दिनांक 27 फरवरी, 2016 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया तत्पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक पर दिनांक 01 मार्च, 2016 से जारी सामान्य विमर्श का उत्तर दिनांक 02 मार्च, 2016 को माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा दिया गया।

दिनांक 03 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा बिहार लोक अभिलेख नियमावली, 2015 की प्रति, प्रभारी मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा बिहार निम्न शक्ति शराब-आयात, निर्यात एवं बिक्री नियमावली, 2015 की प्रति, प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का विशेष प्रतिवेदन, 2015 एवं उसपर सरकार का व्याख्यात्मक संलेख की एक-एक प्रति एवं प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का 57वाँ से 59वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयीं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित ग्रामीण कार्य विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई। शेष माँगें सदन में गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक स्वीकृत हुआ।

दिनांक 08 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 को भूललक्षी प्रभाव से दिनांक 09.09.2009 से प्रकृत किए जाने के कारणों से संबंधित विवरण की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक 10 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य विभाग द्वारा संसदीय कार्य विभाग का अधिसूचना संख्या-738, दिनांक 05.08.2008 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग से संबंधित स्थानीय निकाय से संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार का 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक 15 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 की प्रति एवं प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रुझान संबंधी परिणाम बजट प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

दिनांक 17 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014/ बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जांच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014/ बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना संख्या-59, दिनांक 01.04.2015)/ बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (अधिसूचना संख्या-2516, दिनांक 05.05.2015)/ बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

(3)

दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन (1) राजस्व प्रक्षेत्र (2) सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र तथा (3) राज्य का वित्त की एक-एक प्रति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, वित्तीय वर्ष 2016-17 के परिणाम बजट प्रतिवेदन की प्रति, वित्तीय वर्ष 2016-17 के जेण्डर बजट की प्रति तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रतिवेदन की प्रति तथा प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 28 मार्च, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में सम्मिलित गृह विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई । शेष माँग गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर बिहार राज्य वित्तीय निगम का उत्तर प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2016 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 30 मार्च, 2016 को बिहार उत्पाद (संशोधन) विधेयक, 2016 पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तार से सरकार का पक्ष रखा गया तदुपरान्त सदन में विधेयक सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । सदस्यों ने जिस उत्साह से इसे पारित किया सदन के अन्दर वह ऐतिहासिक क्षण था । इतना ही नहीं विधेयक की स्वीकृति के उपरांत अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सहित सदन के सभी माननीय सदस्यगण ने अपनी-अपनी सीट से खड़े होकर यह संकल्प लिया कि " हम न शराब पीयेंगे और सदन के बाहर के लोगों को भी शराब न पीने के लिए प्रेरित करेंगे" । इसके उपरान्त बिहार मूल्यवर्द्धित कर विधेयक, 2016 तथा बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक, 2016 माननीय प्रभारी मंत्री के उत्तर के बाद सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-178, मोकामा से निर्वाचित सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह ने शपथ-ग्रहण किया । प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-93(3) एवं 99 के तहत विभिन्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा-20 के तहत अधिसूचना संख्या- एस. ओ.-26, 27, दिनांक 02.02.2016/ एस. ओ.-74,

दिनांक 15.05.2015 तथा एस.ओ.-219 एवं 220 दिनांक 27.11.2012 की एक-एक प्रति, बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-18 (2) के तहत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-28, 29, 30 एवं 31 दिनांक 02.02.2016 तथा एस.ओ.-217, दिनांक 21.11.2012 की एक-एक प्रति, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा-9 (4) के तहत अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 दिनांक 20.01.2016/ एस.ओ.-169, दिनांक 21.07.2015/एस.ओ.-76, दिनांक 15.05.2015/ एस.ओ.-64, दिनांक 28.04.2015 तथा एस.ओ.-62, दिनांक 28.04.2015 की एक-एक प्रति एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को राजकीय विधेयक यथा- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक, 2016 एवं बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2016 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 01 अप्रैल, 2016 को नियम-43 के तहत राज्य में पेयजल संकट की स्थिति पर विशेष वाद-विवाद हुआ । इसके अलावे प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उस पर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति, प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) नियमावली, 2016/ ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-35(4) के तहत बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) संशोधन नियमावली, 2016/ बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1966 की धारा-44(4) के तहत बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2016/ बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-40(5) के तहत बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2016/ मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा-40(3) के तहत बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली, 2016/ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1966 की धारा-62(4) के तहत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016/ मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा-26(7) के तहत बिहार मजदूरी भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115 (2) के तहत बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 02 अप्रैल, 2016 भी बिहार विधान मंडल के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कैसर जागरूकता से संबंधित संगोष्ठी में बिहार विधान मंडल के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही। इस दिन माननीय सदस्यों ने उत्साहवर्द्धक ढंग से राज्य के रूग्ण एवं जरूरतमंदों के लिए बढ़-चढ़कर रक्तदान किया एवं इस तरह से सामाजिक दायित्वों के प्रति प्रशंसनीय संवेदनशीलता दिखाई। यह देश के संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व पहल के रूप में हमेशा याद किया जायेगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सहित अन्य पदाधिकारी एवं चिकित्सकों ने जिस तत्परता से इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। रक्तदाता सदस्यों के लिए Donor Card, Donor Certificate तथा Blood Group के बारे में संबंधित प्रमाण-पत्र आ गए हैं। साथ ही पाँच प्रमुख बीमारियों (HIV, HBs-AG, HCV, MP, VDRL) का भी जाँच प्रतिवेदन आ गया है। हमारे सभी रक्तदाता सदस्य इन बीमारियों से मुक्त हैं, जिस हेतु मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। रक्तदाता सदस्य अपना प्रमाण-पत्र सभा सचिवालय से प्राप्त कर सकते हैं।

सदन में आज राज्य के विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश को कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति पर विमर्श हुआ। सरकार के उत्तर में इन विषयों पर एक समिति बनाने का आसन से आग्रह किया गया। पूर्व में भी सदन नेता के द्वारा, केन्द्र के द्वारा दिये जाने वाले विशेष पैकेज एवं इसके क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु एक विशेष समिति बनाने का आग्रह किया गया था। इस सम्बन्ध में विशेष समिति के गठन करने की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी।

दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को गृह विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3(4) के तहत फारबिसगंज गोली कांड न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ATR) को एक-एक प्रति, प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत बनायी गयी बिहार जिला आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2010 की प्रति, प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" की एक प्रति तथा "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार राज्य चाल श्रमिक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-12(3) के तहत बिहार राज्य चाल श्रमिक आयोग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गयी।

सत्र के दौरान कुल-4341 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। कुल-3520 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 07 अल्पसूचित प्रश्न, 2815 तारांकित प्रश्न तथा 698 अतारांकित प्रश्न थे। इन स्वीकृत प्रश्नों में से 451 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 937 प्रश्नोत्तर सदन पटल पर रखे गये। उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-20, अपृष्ठ प्रश्न 79 एवं 2033 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल-680 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 550 स्वीकृत हुए एवं 130 अस्वीकृत हुए। कुल-216 याचिकाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 144 स्वीकृत एवं 72 अस्वीकृत हुईं।

इस सत्र में कुल-430 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें 37 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 360 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 33 अमान्य हुए।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये।

इस सत्र के दौरान कुल-265 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई।

इस सत्र में प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी। इस कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ। पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

अब आप सबों को वसंत की शुभकामनाओं के साथ सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है।